न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/289

1. गणेश आत्मज माधो जाति बैरवा उम्र 72 वर्ष निवासी धीरपुर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. घांसी लाल आत्मज गणेश जाति बैरवा उम्र 37 वर्ष निवासी धीरपुर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजूलाल आत्मज गणेश जाति बैरवा उम्र 35 वर्ष निवासी धीरपुर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सोसर बाई पुत्री हरदेव आयु 73 वर्ष निवासी सुवान्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. ज्याना बाई पुत्री हरदेव आयु 77 वर्ष निवासी सुवान्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. शंकर आत्मज नारायण आयु 57 वर्ष निवासी सुवान्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रमेश चन्द कहार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडन्ट कम 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 82 (क) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पीपरवाला तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 189 की रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के खाते व कब्जे की भूमि है । उक्त भूमि पर वादीगण का निरन्तर निर्बाध रूप से संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है । उक्त भूमि में वादी कम 1व 2 का 1/2 हिस्सा व वादी कम 3 का 1/2 हिस्सा है । प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के पूर्वी

दिशा की 03 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं करे । यदि दौराने वाद उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जा कर लें तो प्रतिवादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा वापस वादी को दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2014 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2014 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अलावा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजात पर कोई विचार नहीं कर एक तरफा वादीगण के तथ्यों के बारे में अनुमान लगाकर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रय के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत बेचाननामा व रजिस्टर्ड विकय्र पत्र को वादीगण के कथनानुसर बिना किसी कानूनी बिन्दु पर विचार किये निर्णित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की थीं परन्तु अपने निर्णय में किसी भी तनकी पर विवेचन नहीं किया है और सीधे ही निर्णय पारित कर दिया जो सीपीसी की प्रावधानों के विपरीत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट की तबियत ज्यादा खराब होने के कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सूचना प्राप्त नहीं कर सका और उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.07.2015 को तब हुई जब रेस्पोडेन्ट खेतों पर कब्जा करने की नियत से आये और अपने पक्ष में निर्णय होने की बात कही । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट कम कम 1 व 2 का 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट कम 3 का 1/3 हिस्सा है । आराजी का पक्षकारान के मध्य विभाजन नहीं हुआ है। खातेदार की मृत्यु के बाद आराजी हरदेव एवं नारायण के खाते दर्ज हुई और हरदेव के द्वारा अपीलान्ट को 10,000/– रूपये में वादग्रस्त आराजी का बेचान किया गया और भौतिक कब्जा संभलाया गया जब से ही अपीलान्ट इस आराजी पर काबिज है । हरदेव ने अपने हिस्से की भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 04.06.1998 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध करवायी । नारायण द्वारा रजिस्ट्री करवाने से इंकार कर दिया इसके चलते नारायण की मृत्यु हो गयी । नारायण के पुत्र शंकर के द्वारा नामान्तरकरण अपने पक्ष में खुलवा लिया ओर अपीलान्ट को बेदखल करने के लिए उपखण्ड अधिकारी, नैनवा के समक्ष पेश किया । उपखण्ड अधिकारी, नैनवा के द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत दावा डिक्री किया गया । अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं जवाब पर कोई विचार नहीं किया गया । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2014 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 ने धारा 188 एवं 82 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश कर कथन किया था कि वादग्रसत आराजी वादीगण के संयुक्त खाते में दर्ज है । प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करना चाहते हैं । अतः उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे । इस दावे का जवाबदावा पेश हुआ और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 तनकीयात कायम की गई जो पत्रावली पर संलग्न हैं । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है जबकि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है ।

13. इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन ये यह प्रतीत होता है कि एक अन्य दावा संख्या 55/दावा/08 गणेश बनाम शंकर को अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है परन्तु उसकी पत्रावली इस पत्रावली के साथ संलग्न नहीं की है जबकि यदि दो दावों का निर्णय एक साथ होता है तो दोनों दावों की पत्रावलियों को समेकित करते हुए समेकित तनकीयात कायम करना अनिवार्य होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है और खारिज होने योग्य है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.05.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । यदि दावा संख्या 55/दावा/08 इस दावे के साथ समेकित किया जाता है तो उसकी पत्रावली भी इस पत्रावली के साथ समेकित करते हुए दोनों दावों के आधार पर समेकित तनकीयात कायम कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा